

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3

शुद्धि-पत्र

22 अक्टूबर, 2024 ई0

संख्या-618 / XVIII(3)/2024-03(06)/2016-उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0-210 / XVIII(3)/2016-03(06)/2016, दिनांक: 28 अप्रैल, 2016 के हिन्दी पाठ की अनुसूची में, शब्द और अंक "भूमि का क्षेत्रफल हे0 603.8000" के स्थान पर शब्द और अंक "भूमि का क्षेत्रफल हे0 660.3470" पढ़ा जाए।

2. उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी।

डॉ सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव, राजस्व।

CORRIGENDUM

October 22, 2024

No.618/XVIII(3)/2024-03(06)/2016-In the Schedule of english version of notification no. 210/ XVIII(3)/2016(03)(06)/2016] dated April 28, 2016 of Uttarakhand Government, for the word and figure "Area Hectare 603.8000" read word and figure "Area Hectare 660.3470"

2. The said notification is amended to this extant.

DR. SURENDRA NARAYAN PANDEY,
Secretary, Revenue.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 23-11-2024, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 47 राजस्व/561-11-12-2024-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)